

ऑफ़ लाइन प्रवेश पंजीकरण फॉर्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- 1. जन्म प्रमाण पत्र-** जन्म पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आयु के प्रमाण का प्रमाण पत्र। इसमें ग्राम पंचायत, सैन्य अस्पताल के रिकॉर्ड और रक्षा कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड से जन्म तिथि के बारे में अधिसूचित क्षेत्र परिषद / नगर पालिका / नगर निगम के प्रमाण पत्र शामिल होंगे।
- 2.जाती प्रमाण पत्र -** एक प्रमाण पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/बीपीएल, जहां भी लागू हो, संबंधित राज्य सरकार/केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
यदि यह प्रमाणपत्र बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है, तो प्रवेश के प्रयोजन के लिए माता-पिता में से किसी एक का प्रमाणपत्र प्रारंभ में स्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि, बच्चे के संबंध में प्रमाण पत्र प्रवेश की तारीख से 03 महीने की अवधि के भीतर जमा करना होगा।
- 3. विशेष आवश्यकता (विकलांगता) (सीडब्ल्यूएसएन) प्रमाण पत्र -** सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र या भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि वह विशेष आवश्यकता (सीडब्ल्यूएसएन) वाला बच्चा है, जहां भी लागू हो।
- 4. सेवा प्रमाण पत्र-** पिछले 7 वर्षों के दौरान स्थानान्तरण की संख्या दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण पत्र, जिस पर कार्यालय प्रमुख द्वारा बड़े अक्षरों में नाम, पदनाम और अन्य प्रासंगिक विवरण अंकित हो।
- 5. वर्दीधारी रक्षा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र।**
- 6. निवास का प्रमाण.**

List of attachment for Admission Registration form

- 1. Birth Certificate-** Certificate of proof of age in the form of a birth certificate issued by the authority competent to register births. This will include certificates from Notified Area Council / Municipality / Municipal Corporation extract about the date of birth from records of Village Panchayat, Military Hospital and service records of Defence personnel.
- 2. Caste Certificate-** A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/EWS/OBC (Non-Creamy Layer)/BPL wherever applicable, issued by the Competent Authority in concerned State Government/Union Government. The certificate in respect of either of the parents may be accepted initially, for the purpose of admission, if this certificate is not available for the child. However, the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 03 months from the date of admission.
- 3. Disability (CwSN) Certificate-** A certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India certifying **that she/he is a child with Special Needs (CwSN)**, wherever applicable.
- 4. Service Certificate-** A service certificate showing the number of transfers during the preceding 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letters.
- 5. A certificate of retirement for uniformed Defence employees.**
- 6. Proof of Residence.**

